उप निवृत्ति ... [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	[illegible] 172/2021
15-12-22	पत्रावली पेश हुई। [illegible] उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ [illegible] पूर्व आदेशानुसार [illegible] 11-1-23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
11-1-23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर दावा बाबत घोषणा पत्र रामवतार सिंह पुत्र [illegible]सिंह एवं भैरूसिंह शेखावत पुत्र भागीरथसिंह का सहमति पत्र पेश किये। जो शामिल पत्रावली किया गया। वास्ते अग्रिम कार्यवाही पत्रावली दिनांक 12-1-23 को पेश हो। (हस्ताक्षर) दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
12-1-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15-3-23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
19-4-23	इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित/ पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28-6-23 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
28.06.23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण व पक्षकारान उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 की तामील हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा दुरुस्ती रिकार्ड स्वीकार [illegible] पाये जाने पर स्वीकार कर डिक्री जारी किया जाता है। प्रकरण में मेरा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। (हस्ताक्षर) 28/6/23 दिलीप सिंह सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 16:04:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
132/2021	2021/239	17.11.2021	28·06·2023

1. जयसिंह पुत्र रामकुमारसिंह उम्र 35 जाति दरोगा निवासी झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2. नन्दुसिंह पुत्र कल्याण सिंह उम्र 38 साल जाति दरोगा निवासी ग्राम झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—— वादीगण——

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

——प्रतिवादीगण——

उपस्थित : –

श्री रामचन्द्र जांगिड एड0 वादीगण।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या।

दावा बाबत घोषणा दुरूस्ती रिकॉर्ड

(अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्त0 अधिनियम)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर

——:: निर्णय ::——

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 16:04:12 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में विवरण इस प्र... कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि तन ग्राम झाड़ली पटवार हल्का झाड़ली भू–अभिलेख निरीक्षक झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1563 रकबा 0.8000 है0 में

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हिस्सा 5/49 एवं खसरा नम्बर 1571, 1900, 1901 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6600 है0 में हिस्सा 1/28 एवं खसरा नम्बर 1679 लगायत 1682, 1684 लगायत 1687, 1689, 1690, 1694 लगायत 1699, 1700, 2497 लगायत 2499, 2500 कुल किता 21 कुल रकबा 6.6900 है0 में हिस्सा 1/252 एवं खसरा नम्बर 1891 रकबा 0.8700 है0 में हिस्सा 5/147 एवं खसरा नम्बर 1701 लगायत 1709, 1712 लगायत 1719, 1721 लगायत 1725 कुल किता 22 कुल रकबा 6.5700 है0 में हिस्सा 1/252 की खातेदारी में वादी संख्या 1 का नाम देशुसिंह पुत्र रामकुवारसिंह दर्ज है। जबकि वादी संख्या 1 का वास्तविक नाम जयसिंह पुत्र रामकुवारसिंह है। तन ग्राम झाड़ली पटवार हल्का झाड़ली भू–अभिलेख निरीक्षक झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1910 रकबा 0.6900 है0 में हिस्सा 1/84 एवं खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.7400 है0 में हिस्सा 1/84 की खातेदारी में वादी संख्या 1 का नाम देबुसिंह पुत्र रामकुवारसिंह दर्ज है। जबकि वादी संख्या का वास्तविक नाम जयसिंह पुत्र रामकुमारसिंह है। तन ग्राम झाड़ली पटवार हल्का झाड़ली भू–अभिलेख निरीक्षक झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित कृषि भूमि खसरा 1910 रकबा 0.6900 है0 में हिस्सा 1/80 एवं खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.7400 है0 में हिस्सा 1/80 एवं खसरा नम्बर 1568, 1574, 1913 कुल किता 3 कुल रकबा 1.4600 है0 में हिस्सा 1/15 की खातेदारी में वादी संख्या 2 का नाम कालूसिंह पुत्र कल्याणसिंह दर्ज है। जबकि वादी संख्या 2 का वास्तविक नाम नन्दूसिंह पुत्र कल्याणसिंह है। वादी संख्या 1 का वास्तविक नाम जयसिंह पुत्र रामकुवारसिंह ही है एवं उसके अन्य समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड आदि में भी जयसिंह पुत्र रामकुवारसिंह ही अंकित है पर [illegible] वर्णित कृषि भूमियों की खातेदारी में वादी संख्या 1 का [illegible] व देबूसिंह पुत्र रामकुवारसिंह दर्ज कर दिया गया, जो वादी को [illegible]र पर बचपन में बोलते नाम देशुसिंह व देबूसिंह के नाम से भी पुकारते थे, इसलिए वादी संख्या 1 का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 16:04:12 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर कोर्ट श्रीमाधोपुर

भूमियों की खातेदारी मे देशुसिंह व देबूसिंह दर्ज हो गया जिसको जयसिंह घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है एवं इसी प्रकार वादी संख्या 2 का वास्तविक नाम नन्दूसिंह पुत्र कल्याणसिंह ही एवं इसके अन्य समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड आदि मे भी नन्दूसिंह पुत्र कल्याणसिंह ही अंकित है परन्तु उक्त वर्णित कृषि भूमियों की खातेदारी मे वादी संख्या 2 का नाम कालूसिंह पुत्र कल्याणसिंह दर्ज कर दिया गया, जो वादी संख्या 2 को घर पर बचपन मे बोलते नाम कालूसिंह के नाम से भी पुकारते थे, इसलिए वादी संख्या 2 का नाम भूमियों की खातेदारी में कालूसिंह दर्ज हो गया जिसको नन्दूसिंह घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायाचित व आवश्यक है। वादीगण ने पटवारी हल्का व भूमिधारी तहसीलदार से उक्त नाम सही दुरूस्त करने का निवेदन किया तो अदालत में दावा प्रस्तुत करने एवं आदेश लाने हेतु कहा गया गया। इसलिए माननीय न्यायालय में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। वादपत्र में प्रतिवादी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को भूमिधारी आवश्यक पक्षकार होने से एवं राजस्व अभिलेख में नाम दुरूस्ती किये जाने का अधिकार होने से पक्षकार बनाया जाकर तन् ग्राम झाड़ली पटवार हल्का झाड़ली भू–अभिलेख निरीक्षक झाड़ली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान मे अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1563 रकबा 0.8000 है0 में हिस्सा 5/49 एवं खसरा नम्बर 1571, 1900, 1901 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6600 है0 में हिस्सा 1/28 एवं खसरा नम्बर 1679 लगायत 1682, 1684 लगायत 1687, 1689, 1690, 1694 लगायत 1699, 1700, 2497 लगायत 2499, 2500 कुल किता 21 कुल रकबा 6.6900 है0 में हिस्सा 1/252 एवं खसरा नम्बर 1891 रकबा 0.8700 है0 में हिस्सा 5/147 एवं खसरा नम्बर 1701, ल[illegible]9, 1712 लगायत 1719, 1721 लगायत 1725 कुल किता 22 [illegible]00 है0 में हिस्सा 1/252 की खातेदारी में वादी संख्या 1 का नाम देशुसिंह [illegible] रामकुवारसिंह के स्थान पर [illegible]सिंह पुत्र रामकुवारसिंह घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावें एवं इसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 16:04:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1910 रकबा 0.6900 है0 में हिस्सा 1/84 एवं खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.7400 है0 में हिस्सा 1/84 की खातेदारी में वादी संख्या 1 का नाम देबुसिंह पुत्र रामकुवारसिंह के स्थान पर जयसिंह पुत्र रामकुवारसिंह घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावें एवं इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा 1910 रकबा 0.6900 है0 में हिस्सा 1/80 एवं खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.7400 है0 में हिस्सा 1/80 एवं खसरा नम्बर 1568, 1574, 1913 कुल किता 3 कुल रकबा 1.4600 है0 में हिस्सा 1/15 की खातेदारी में वादी संख्या 2 का नाम कालूसिंह पुत्र कल्याणसिंह के स्थान पर नन्दूसिह पुत्र कल्याणसिंह घोषित किये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में किया है। वादपत्र वास्ते घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक व साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। बावजूद तामिल हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादीगण में वादीगण साक्ष्य गवाह में भैंरूसिंह शेखावत पुत्र भागीरथसिंह व रामावतार सिंह पुत्र बन्नेसिंह के लिखितशुदा सहमति पत्र पेश हुए। प्रकरण में अंकित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट ली गई। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक भू.अ./22/1653 दिनांक 13.06.2023 द्वारा प्राप्त हुई। जिसको शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से अभिशंषा रिपोर्ट प्राप्त हो जाने [illegible] साक्ष्य वादीगण में गवाहान् के लिखितशुदा सहमति पत्र पेश [illegible] वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 16:04:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हमने वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम फैसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077 आठ जमाबंदीयों, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड पैन कार्ड, मतदाता पहचान कार्ड, परिवार राशन कार्ड, तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट, साक्ष्य वादीगण में प्रस्तुत साक्ष्य वादीगण व गवाहान् इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकार वादीगण के नाम हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। वादीगण साक्ष्य में गवाहान् भैंरूसिंह शेखावत पुत्र भागीरथसिंह व रामावतार सिंह पुत्र बन्नेसिंह के द्वारा लिखितशुदा सहमति पत्रों से भी वादीगण के वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट में तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया है कि ग्राम झाड़ली के खाता नं0 1086, 432, 25, 252, 109, 27, 26 व 824 में देशुसिंह पुत्र रामकुंवारसिंह व कालुसिंह पुत्र कल्याणसिंह दर्ज है। वादीगण का अन्य दस्तावेजों में यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड व शैक्षणिक अंकतालिका आदि में क्रमशः जयसिंह पुत्र रामकुंवारसिंह व नन्दूसिंह पुत्र कल्याणसिंह दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण/वादीगण का नाम जरिये नामान्तकरण दर्ज हुआ हैं। अतः तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों के आधार पर वादी संख्या 1 का नाम देशुसिंह पुत्र रामकुवारसिंह के स्थान पर जयसिंह पुत्र रामकुवारसिंह, देबूसिंह पुत्र रामकुवारसिंह के स्थान पर जयसिंह पुत्र रामकुवारसिंह व वादी संख्या 2 का नाम कालूसिंह पुत्र कल्याणसिंह के स्थान पर नन्दूसिंह पुत्र कल्याणसिंह राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किये जाने हेतु वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 16:04:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् घोषणा एवं दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1563 रकबा 0.8000 है0 में हिस्सा 5/49 एवं खसरा नम्बर 1571, 1900, 1901 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6600 है0 में हिस्सा 1/28 एवं खसरा नम्बर 1679 लगायत 1682, 1684 लगायत 1687, 1689, 1690, 1694 लगायत 1699, 1700, 2497 लगायत 2499, 2500 कुल किता 21 कुल रकबा 6.6900 है0 में हिस्सा 1/252 एवं खसरा नम्बर 1891 रकबा 0.8700 है0 में हिस्सा 5/147 एवं खसरा नम्बर 1701 लगायत 1709, 1712 लगायत 1719, 1721 लगायत् 1725 कुल किता 22 कुल रकबा 6.5700 है0 में हिस्सा 1/252 की खातेदारी में वादी संख्या 1 का नाम देशुसिंह पुत्र रामकुवारसिंह के स्थान पर जयसिंह पुत्र रामकुवारसिंह घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावें एवं इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1910 रकबा 0.6900 है0 में हिस्सा 1/84 एवं खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.7400 है0 में हिस्सा 1/84 की खातेदारी में वादी संख्या 1 का नाम देबुसिंह पुत्र रामकुवारसिंह के स्थान पर जयसिंह पुत्र रामकुवारसिंह घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जावें एवं इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा 1910 रकबा 0.6900 है0 में हिस्सा 1/80 एवं खसरा नम्बर 1911 रकबा 0.7400 है0 में हिस्सा 1/80 एवं खसरा नम्बर 1568, 1574, 1913 कुल किता 3 कुल रकबा 1.4600 है0 में हिस्सा 1/15 की खातेदारी में वादी संख्या 2 का नाम कालूसिंह पुत्र कल्याणसिंह के स्थान पर नन्दूसिंह पुत्र कल्याणसिंह घोषित किया जाता है तथा वादपत्र में संदर्भित कृषि भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी में वादी संख्या 1 का नाम देशुसिंह पुत्र रामकुवारसिंह के स्थान पर जयसिंह पुत्र रामकुवारसिंह, देबूसिंह पुत्र रामकुवारसिंह के स्थान पर जयसिंह पुत्र रामकुवारसिंह व वादी संख्या 2 का नाम कालूसिंह पुत्र कल्याणसिंह के स्थान पर नन्दूसिंह पुत्र कल्याणसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त फरमाये जाने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 16:04:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर कोर्ट सवाई माधोपुर

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
सवाईमाधोपुर (साकर)

आदेश दिया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 28·06·2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/06/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.02 16:04:12 IST
Reason: SelfAttested